

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष पेश।

राज्य द्वारा एडीपीओ उप०।

आरोपीगण सहित अधिवक्ता श्री सतीशचंद्र मिश्रा उप०।

फरियादी श्रीमती शिमला उप०।

प्रकरण राजीनामा आवेदन पर आदेश हेतु नियत है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे यह पाया गया कि प्रकरण में आरोपीगण गिरीश, बालकृष्ण, एवं श्रीमती जनुकाबाई के विरुद्ध भा०द०सं० की धारा 294, 323 एवं 506 भाग-2 के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये हैं। राजीनामा पूर्व में तस्दीक किया जा चुका है। फरियादी ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा लोकहित में है अतः उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं राजीनामा के आधार पर आरोपीगण गिरीश, बालकृष्ण, एवं श्रीमती जनुकाबाई को भा०द०सं० की धारा 294, 323 एवं 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है अतः उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

प्रकरण में जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

खण्डपीठ सदस्य. क.1-

क.2-

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

पीठासीन अधिकारी

खण्डपीठ क्र०21 गोहद

जिला भिण्ड म०प्र०